उपायुक्त–सह–अध्यक्ष का कार्यालय
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

इच्छा की अभिव्यक्ति संख्या –01/2016–17 चाईबासा/दिनांक :– 15.10.2016

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंडों में शौचालय निर्माण हेतु राजमिस्त्रीयों का तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु दिनांक 27.10.2016 के अपराहन 02.00 बजे तक जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पश्चिमी सिंहभूम, गांधी टोला, चाईबासा के कार्यालय में इच्छुक संस्थान/एन०जी०ओ० से निम्नलिखित शर्तों पर मुहरबन्द इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। प्राप्त इच्छा की अभिव्यक्ति दिनांक 27.10.2016 के अपराहन 04.00 बजे पूर्व के गठित क्रय समिति के समक्ष उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। इच्छा की अभिव्यक्ति समर्पित करने वाले संस्थान/एन०जी०ओ० के अध्यक्ष, सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रह सकते है।

नियम एवं भर्ते :–

1. राजमिस्त्रीयों का तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा चयनित उपर्युक्त स्थल पर लगभग 30 अभ्यार्थियों के ग्रुप में उनके देख–रेख में सम्पन्न कराना होगा।
2. प्रशिक्षण की सम्भावित संख्या 36 है जो घट–बढ़ भी सकती है। प्रशिक्षण का कार्य कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर पूर्ण करनी होगी।
3. प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों के रहने, खाने–पीने की व्यवस्था प्रमाण–पत्र, यात्रा एवं दैनिक भत्ता का भुगतान नियमानुसार करना होगा।
4. प्रशिक्षण में (Theory एवं Practical) दोनो की सारी व्यवस्था संबंधित संस्थान/एन०जी०ओ० को ही करनी है।
5. यह इच्छा की अभिव्यक्ति दोहरी लिफाफा प्रणाली पर आधारित होगी जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय बीड के रूप में अलग–अलग अंकित रहेंगें। ये दोनो लिफाफो को एक लिफाफे में बंद कर जमा करना होगा।
6. निविदादाता को आयकर रिर्टन (अद्यतन), पैन नं०, संस्थान/एन०जी०ओ० के निबंधन एवं कार्यानुभव से संबंधित कागजात एवं संस्थान के काली सूची में न होने की नोटरी का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
7. निविदा के साथ निविदा शुल्क की राशि 10000/– का डिमान्ड ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, चाईबासा के पदनाम से भुगतेय हो, संलग्न करना होगा।
8. तकनीकी लिफाफें में निविदादाता के कार्यानुभव एवं निविदा में मांगी गयी अन्य सूचनाओं के साथ अग्रधन (सुरक्षित जमा) राशि सम्मिलित रहेगी।
9. निविदा का वित्तीय लिफाफे में निविदादाता को **प्रति** पश्चिमी **का दर** अंकित करना होगा।
10. तकनीकी मूल्याकंन निविदा में योग्य पाये जाने वाले संस्थान/एन०जी०ओ० का ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।
11. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
12. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार समिति को सुरक्षित होगा।
13. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर समिति का निर्णय मान्य होगा।

कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक ..../चाईबासा, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि 3 (तीन) दैनिक समाचार पत्रों में अविलम्ब प्रकाशित करवाना सुनिश्चित की जाए।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि www.chaibasa.nic.in वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित की जाए।

उपायुक्त सह अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
पश्चिमी **सिंहभूम, चाईबासा**

विज्ञापनकर्त्ता का नाम : सुनील कुमार
पदनाम : कार्यपालक अभियंता सह सदस्य सचिव
विभाग : जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, चाईबासा
मो० : 9431647758
ई मेल : eedwsd.chaibasa@gmail.com

पत्रवाहक का नाम : नीरज कुमार सिन्हा
पदनाम : जिला समन्वयक
विभाग : जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, चाईबासा
मो० : 9279347412